न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 4/2019
दायर दिनांक : 16/01/2019
निर्णय दिनांक : 06/06/2024

उनवान

1. श्रीमती भग्गूबाई पत्नी उदयलाल उर्फ उदयराम गाडरी निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर
2. शम्भू पिता उदयलाल उर्फ उदयराम गाडरी निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर
3. वरदीचन्द पिता उदयलाल उर्फ उदयराम गाडरी निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. हीरालाल पिता कन्नाजी (तथाकथित पिता स्व. रामाजी) निवासी जोयडा तह. भूपालसागर
2. हेमराज पिता कन्नाजी (तथाकथित पिता स्व. रामाजी) निवासी जोयडा तह. भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामलाल गुजर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मांगीलाल बैरवा अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थीगण तथा विपक्षी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के हैं जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है – भग्गा जी मृतक मूल पुरूष के पुत्र तलोक व उदा दोनों मृत, तलोक के नंदा जी मृत के भैरा लाऔलाद फौत, चतरभुज आलौद फौत, गोदा मृत के कन्नाज़ी मृत के उदयराम मृतक के भग्गूबाई, शम्भू, वरदीचन्द तथा हीरालाल प्र.सं. 1, हेमराज प्र.सं. 2, उक्त गोदा के भैरा जी लाऔलाद फौत। उक्त उदा के गोकल जी मृत के भैरा लाऔलाद फौत, बरदा लाऔलाद फौत व रोडा मृत के रामा मृत के दोली पत्नी रामा लाऔलाद फौत। उक्त सजरे अनुसार भग्गाजी मूल पुरूष है, जिनके दो संताने तलोक जी व उदा जी हुऐ। तलोक जी के वारिस पुत्र नन्दा जी है तथा नन्दा जी के वारिस पुत्र भैराजी, चतरभुज जी, गोदा जी तथा किसा जी है। भैराजी, चतरभुज जी तथा कीसाजी लाऔलाद फौत हुऐ, गोपाजी के वारिस कन्ना जी व भैरा के दो पुत्र हुऐ। इनमें से भेरा जी लाऔलाद फौत हुऐ। कन्ना जी के वारिसान उनके पुत्र उदयराम मृतक के वारिसान प्रार्थीगण तथा हीरालाल व हेमराज विपक्षीगण है, जो वर्तमान में जीवित है। इसी प्रकार मूल पुरूष भग्गा जी के छोटे बेटे उदाजी के वारिस उनके पुत्र गोकल जी थे। गोकल जी के वारिस मेवाजी, रोडा जी, के वारिस उनके पुत्र रामा जी थे। रामा जी से कोई संतान नहीं होने से उनकी मृत्यु पर उनकी सम्पत्ति का इंतकाल उनकी दोली के नाम पर खोला गया। दोली बेवा रामा की मृत्यु आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है। यह कि मौजा ग्राम जोयडा तहसील भूपालसागर में सम्वत 2030 से सम्वत 2033 तक की जमाबंदी में आ.सं. 233/1 रकबा 3.10 बीघा, आ.सं. 230/2 रकबा 1 बीघा, आ.सं. 234 रकबा 17 बिस्वा, आ.सं. 452 रकबा 8.19 बीघा, आ.सं. 456 रकबा 2 बीघा किता 5 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा स्व. रामा की खातेदारी मे कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

रिकार्ड थी। उक्त कृषि आराजियात को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त कृषि आराजियात से संबंधित किया गया है। रामाजी की मृत्यु के पश्चात उक्त कॉलम सं. 3 में वर्णित कृषि आराजियात का इंतकाल सं. 197 रामाजी के कोई संतान नहीं होने से उनकी एकमात्र जीवित वारिस उनकी पत्नी दोली के नाम पर खोला गया। उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात के नवीन नंबर 355–0.97, 356–0.18, 886–0.44, 888–0.53, 889–1.15, 890–0.33 कुल किता 6 रकबा 3.60 है, बने। मु. दोली बेवा रामाजी की मृत्यु लाऔलाद आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व होने पर उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात का इंतकाल हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 सब क्लॉज 1 में वर्णित वारिसों के अभाव में धारा 15 सब क्लॉज 1 में वर्णित पति के वारिसों में किया जाना चाहिये था। स्व. दोली के पति स्व. रामाजी के भी हिन्दु उत्तराधिकार अधि. की धारा 8 सब क्लॉज 1 व 2 में वर्णित वारिस नहीं होने से धारा 8 सब क्लॉज 3 में वर्णित गोत्रज वारिस वादीगण संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 में 1/3, 1/3 बराबर का हक व हिस्सा होने से खातेदारी अधिकार न्यायसंगत होकर इंतकाल खुलना चाहिऐ था किन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात का इंतकाल सं. 332 दिनांक 30.05.1989 गलत तरीके से रामाजी व दोली के कोई संतान नहीं होते हुऐ भी स्वयं को स्व. रामाजी की संतान होना दर्शाकर 1/2, 1/2 बराबर बराबर हक व हिस्से से स्वयं की खातेदारी का खुलवा लिया जो कि पूर्णतया अवैधानिक है। जिससे वादग्रस्त कृषि आराजियात में प्रार्थीगण संयुक्त रूप से विपक्षी सं. 1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित होने से वादग्रस्त कृषि आराजियात में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 घोषित कराये जाने हेतु यह वाद घोषणा खातेदारी का पेश है। वादग्रस्त कृषि आराजियात में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्सा निहित है किन्तु वादग्रस्त कृषि आराजियात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज होने से उक्त विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि आराजियात में निहित प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बह, बक्षीस करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित उसके हक व हिस्से की भूमि के आधिपत्य से बेदखल करने पर आमदा है। जिससे विपक्षी सं. 1 व2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वे न तो स्वयं, न ही अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी अन्य शख्स को रहन, बह, बक्षीस न करे न ही वादग्रस्त कृषि भूमि से ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री मांगीलाल बैरवा ने अधिकार पत्र मय जवाब पेश किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 1 में लिखित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, वादीगण ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर झूठा वाद पेश किया है। कॉलम 2 में पारिवारिक सजरा होना स्वीकार है, बाकी तथ्य अस्वीकार है, कॉलम 3 में आराजियात होना स्वीकार है, कॉलम 4 में लिखित तथ्य अस्वीकार है, मृतक रामा पिता रोड़ा की मृत्यु होने पर उनकी पगडी अप्रार्थी सं. एक हीरालाल को बंधाई गई तथा रामा व उसकी पत्नी दोली का सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मोसर भी हीरालाल व हेमराज दोनों भाईयों ने मिलकर के किया, प्रार्थीगण के पिता को भी जब रामा पिता रोड़ा की मृत्यु हुई सामूहिक रूप से मोसर व समस्त कार्यक्रम करने हेतु कहा लेकिन प्रार्थीगण के पिता उदयराम ने सामाजिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से करने से साफ मना कर दिया, रामा व दोली की मृत्यु का समस्त खर्चा जिसमें मोसर, गंगाजी जाना, गंगोज करना समस्त खर्चा हीरालाल व हेमराज ने मिलकर किया तथा समाज के पंचों के द्वारा मृतक रामा पिता रोड़ा की पगडी, अप्रार्थी सं. एक हीरालाल को बंधाई गई, इस कारण से जरिये नामान्तरण सं. 332 दि. 30.05.1989 को रामा व दोली का नामान्तरण 1/2, 1/2 बराबर हक व हिस्से के अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हुआ इस कारण से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का कोई हक एवं अधिकार

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

नहीं है। कॉलम सं. 5 में आराजियात होना स्वीकार है। कॉलम सं. 6 में लिखित तथ्य अस्वीकार है तथा मृतक रामा पिता रोड़ा की मृत्यु होने पर उनकी पगडी अप्रार्थी संख्या एक हीरालाल को बधाई गयी तथा रामा व उसकी पत्नी दोली का सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मौसर भी हीरालाल व हेमराज दोनों भाइयों ने मिलकर किया, प्रार्थीगण के पिता को भी जब रामा पिता रोड़ा की मृत्यु हुई सामूहिक रूप से मौसर व समस्त कार्यक्रम सामूहिक रूप से करने से साफ मना कर दिया, रामा व दोली की मृत्यु का समस्त खर्चा जिसमें मौसर, गंगाजी जाना, गंगोज करा समस्त खर्चा हीरालाल व हेमराज ने मिलकर किया तथा समाज के पंचो के द्वारा मृतक रामा पिता रोड़ा की पगडी अप्रार्थी सं. एक हीरालाल को बंधाई गई, इस कारण से जरिये नामान्तरण सं. 332 दि. 30.05.1989 को रामा व दोली का नामान्तरण 1/2, 1/2 बराबर हक व हिस्से के अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हुआ इस कारण से वादगत आराजियात में प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा भी प्रार्थीगण का नहीं प्रारंभ से लेकर अंत तक वादगत आराजियात पर कब्जा अप्रार्थीगण का ही चला हा रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा अप्रार्थीगण का ही है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा बोई गई फसल खड़ी है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी नहीं फरमाया जा सकता। अतः अप्रार्थी सं. एक व दो की ओर से जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे। जो शामिल पत्रावली है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दोनो पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील उभयपक्ष ने मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखने पर सहमति बताई।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम जोयडा पटवार हल्का निलोद के हल्के बैरूनी में स्थित आ.सं. 355 रकबा 0.97 है., आ.सं. 356 रकबा 0.18 है., आ.सं. 886 रकबा 0.44 है., आ.सं. 888 रकबा 0.53 है., आ.सं. 889 रकबा 1.15 है. एवं आ.सं. 890 रकबा 0.33 है. चिकता 6 रकबा 3.60 है. भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर